न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5731/2003/सिरोही

1. बाबूसिंह पुत्र सूजा जाति राजपूत
2. उगम पत्नी भगवानसिंह जाति राजपूत
3. धरमी बाई बेवा सूजा जाति राजपूत
   समस्त निवासीगण देलवाडा, आबूपर्वत जिला सिरोही

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नगर पालिका, आबूपर्वत जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, आबूपर्वत
2. प्रशासक, नगरपालिका आबूपर्वत
3. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, सिरोही

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अमृतपाल सिंह वानर एवं श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्तागण, अपीलार्थीगण
श्रीमती पूनम माथुर, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 04.07.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा देलवाडा स्थित साबिम आराजी खसरानम्बर 328 रकबा 10बीघा 18बिस्वा में से हाल खसरा नम्बर 361 रकबा 06बीघा 19बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज देवा पुत्र लाखाजी के कब्जे काश्त में बहैसियत काश्तकार थी, उनकी मृत्यु उपरान्त सुजा जी काश्तकार हुए तत्पश्चात् वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण को विवादित भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारियों ने बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं किया एवं नामान्तरकरण संख्या 371 से विवादित आराजी प्रत्यर्थी संख्या–1 के नाम दर्ज कर दी। अतः विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः विवाद्यक कायम किये तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–01–2001 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 18–08–2003 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्तागण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण एवं उनके पूर्वज विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पर्वू से बहैसियत काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15बी पर विचार करते हुए निर्णीत करना चाहिए था किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने वादपत्र में अंकित अभिकथनों पर विचारण किये बिना वाद एवं अपील को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि धारा 91 के प्रकरण में पारित निर्णय में विवादित आराजी पर वादीगण को पुराना कब्जा काश्त होना मानते हुए नियमन की सिफारिश की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा दिनांक 13-3-1992 को बताया कि भूमि नगरपालिका आबूपर्वत को आबादी विस्तार हेतु दे दी गयी है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्वज वर्ष 1918 से काबिज काश्त चले आ रहे है, जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष सभी गवाहान ने वादीगण का कब्जा विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का होना स्वीकार किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार की कोई विवेचना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने सहायक कलक्टर, आबूपर्वत के न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक वाद प्रस्तुत कर मौजा देलवाडा स्थित साबिम आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 10बीघा 18बिस्वा में से हाल खसरा नम्बर 361 रकबा 06बीघा 19बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज देवा पुत्र लाखाजी के कब्जे काश्त में बहैसियत काश्तकार थी, उनकी मृत्यु उपरान्त सुजा जी काश्तकार हुए तत्पश्चात् वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण को विवादित भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारियों ने बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं किया एवं नामान्तरकरण संख्या 371 से विवादित आराजी प्रत्यर्थी संख्या–1 के नाम दर्ज कर दी। अतः विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण

न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि वादीगण विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय वर्ष 1981 से निरन्तर काबिज काश्त हो। विवादित आराजी पर वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण का वाद मौखिक साक्ष्य के आधार पर डिक्री नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

18–08–2003 एवं सहायक कलक्टर, आबूपर्वत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–01–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य